न्यायालय लेण्ड रेकार्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारीः— दिवांशु शर्मा, R.A.S.)

प्रकरण संख्या — 24/2019 (प्रा0प0)
दायर दिनांकः— 05/03/2019
निर्णय दिनांकः— 17/02/2020

अनवान

1. पप्पुलाल पिता शंकरलाल जी जाति जाट, निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा

प्रार्थी

बनाम

1. रामनाराणी पिता कनकमल जाति महाजन, निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
2. गन्नी मोहम्मद पिता सफी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी रेलमगरा
3. रहमती बाई पति सफी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी रेलमगरा
4. सुखलाल पिता मोहनलाल जाति टांक निवासी रेलमगरा जिला राजसमंद
5. गोरधनलाल पिता मोहनलाल जाति टांक निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
6. चन्द्र कुंवर पति स्व. सुमेर सिंह जाति राजपुत, निवासी सुनारियाखेडा
7. धवला कुंवर पति बालुसिंह जाति कानावत राजपुत निवासी सुनारियाखेडा
8. मेवाड क्षत्रिय महासभा उदयपुर शाखा रेलमगरा महामंत्री चतरसिंह पिता माधवसिंह जाति राजपुत निवासी राजपुरा तहसील रेलमगरा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमंद

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129, 111 भू राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129, 111 भू राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि ग्राम रेलमगरा सरहद की खाता संख्या 384 में स्थित आराजी संख्या 2591 प्रार्थी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा उक्त आराजी के पूर्व दिशा व दक्षिणी दिशा की ओर विपक्षीगण संख्या 01 से 05 की कृषि आराजी संख्या 2592 स्थित है तथा प्रार्थी की आराजी संख्या 2891 के पश्चिमी दिशा की ओर विपक्षीगण संख्या 06 से 08 की कृषि आराजी संख्या 4011/2551 व 4010/2591 स्थित है। प्रार्थी की आराजी सं. 2591 के उत्तरी दिशा की ओर चारागाह जमीन है। प्रार्थी की आराजी संख्या 2591 व विपक्षीगण की आराजीयात् के बीच किसी प्रकार के स्थाई सीमा चिन्ह नही होने से विपक्षीगण आये दिन सीमा संबंधि विवाद करते

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

रहते है जिस बाबत् प्रार्थी ने सीमा संबंधित जानकारी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 07/02/2019 को पटवारी हल्का रेलमगरा द्वारा मौके पर आकर सीमा जानकारी हेतु आये व मौके पर सीमा जानकारी करने लगे तो विपक्षीगण उक्त सीमा जानकारी करने पर तैयार नहीं होकर मौके पर विवाद व लडाई झगडा करने पर उतारू हुए जिस कारण विवश होकर प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत करना पड रहा है।प्रार्थी के स्वामित्व की आराजी व विपक्षीगण की आराजीयात् के बीच किसी भी प्रकार का कोई स्थाई सीमांकन चिन्ह स्थाई रूप से अंकित नही है न ही मौके पर विद्यमान है। जिससे प्रार्थी व विपक्षीगण के बीच सीमा को लेकर हमेशा विवाद होने की सम्भावना बनी रहती है जिससे प्रार्थी अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी व विपक्षीगण की आराजीयात् के बीच स्थाई रूप से सीमांकन के रूप में पत्थरगड्डी करवाना चाहते है ताकि भविष्य में कभी सीमा संबंधित विवाद नहीं हो। प्रार्थी के लिए यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है । इस बाबत् यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का हेतुक जब जब प्रार्थी ने विपक्षीगण को पत्थरगड्डी कराने के लिए कहा और विपक्षी ने टालमटोल का जवाब दिया व अन्त में दिनांक 07/02/2019 को विपक्षीगण ने मना किया तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है अतः निवेदन है कि प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी संख्या 2591 व विपक्षीगण की आराजीयात् के बीच पत्थरगड्डी कराने का आदेश तहसीलदार के नाम पर फरमाया जावे। खर्चा नियमानुसार प्रार्थी जमा कराने हेतु तैयार है।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01, 04, 05 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा विपक्षी संख्या 06, 07, 08 की तलबी हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने पर भी प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा तलवाना प्रस्तुत नही किये जाने इनकी तलबी का अवसर बन्द किया गया एवं विपक्षी संख्या 09 पैरोकार सरकार के विरूद्ध कोई दाद नही चाही गयी है जिससे जवाब अपेक्षित नही है। विपक्षी संख्या 02 व 03 द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थना पत्र की कलम सं. 01 के विवरण में आराजी संख्या 2591 में क्षैत्रफल 02–13 बिघा में से 00–12 बिस्वा न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय रेलमगरा अनवान गोवर्धनलाल विरूद्ध सरकार व अन्य प्रकरण संख्या 113/2017 रे.वाद निर्णय दिनांक 12/04/2018 के तहत 00–12 बिस्वा भूमि उक्त आराजी में कमी कर कम कर आराजी संख्या 2515 बढाया जाने का आदेश दिया गया । इस प्रकार आराजी संख्या 2591 के नक्शाट्रेस में भी कमी की जाकर आराजी संख्या 2592 के नक्शाट्रेस में वृद्धि की जाने का निर्णय प्रदान किया गया । जिससे उक्त संशोधन के आधार पर प्रार्थी यदि पत्थरगड्डी के लिए सहमत हो तो कर दी जाये अन्यथा उपरोक्त क्षैत्रफल व नक्शाट्रेस में 00–12 बिस्वा भूमि जमाबंदी व नक्शाट्रेस में कमी करते हुऐ 2592 में बढाते हुऐ पत्थरगढी कराई जावें। अन्यथा नहीं। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया है उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है । आराजी संख्या 2592 क्षैत्रफल 00–12 बिस्वा कमी करने के उपरान्त मौके पर पुरानी थोहर बाड डोल स्थाई

सहायक कलेक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

चिन्ह के रूप में चली आई है। शेष विरूद्ध जिस रूप में वर्णित किया गया उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है।प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है । प्रार्थी की भूमि में से 00–12 बस्वा क्षैत्रफल में कमी करने के रूप में थोहर, डोल बाड स्थाई सीमांकन चिन्ह के रूप में स्थित है। प्रार्थना पत्र की कालम संख्या 04 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है।प्रार्थना प्रार्थी पूर्ण सत्य न होने से प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें या विकल्प में आराजी संख्या 2591 का 00–12 बिस्वा भूमि कमी की जाकर आराजी संख्या 2592 में जमाबंदी व नक्शाट्रेस में जोडने पर पत्थरगढी कराई जाने पर विपक्षीगण सहमत है।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया जाहिर आया कि विपक्षी संख्या 02 व 03 के अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब में आराजी संख्या 2591 में क्षैत्रफल 02–13 बिघा में से 00–12 बिस्वा न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय रेलमगरा अनवान गोवर्धनलाल विरूद्ध सरकार व अन्य प्रकरण संख्या 113/2017 रे.वाद निर्णय दिनांक 12/04/2018 को ध्यान में रखते हुए पत्थरगढी करवाये जाने पर अपनी सहमति प्रदान की गयी है तथा वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि का सीमाकंन करवाये जाने का अधिकार निहीत कर रखा है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129, 111 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर ग्राम रेलमगरा स्थित प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 2591 एवं विपक्षीगण की आराजी संख्या 2592, 2891, 4011/2551 व 4010/2591 एवं चारागाह भूमि के मध्य न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय रेलमगरा अनवान गोवर्धनलाल विरूद्ध सरकार व अन्य प्रकरण संख्या 113/2017 रे.वाद निर्णय दिनांक 12/04/2018 को ध्यान में रखते हुए पक्षकरान की उपस्थिति में पत्थरगढी करवाये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 17/02/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
लेण्ड रेकार्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा